

प्रकरण संख्या 116/17

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर
दायरा दिनांक 18.05.2017

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर
प्रार्थी.....

बनाम
भंवरलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी कातरछोटी
अप्रार्थी.....

निर्णय

दिनांक 25.08.2017

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी कातरछोटी नोखा सड़क मार्ग के दक्षिण दिशा में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में 90.72 वर्ग मीटर भूमि पर दुकान का निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी तारीख पेशी को जवाब प्रस्तुत किया कि उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क सीमा में निर्माण कर अतिक्रमण नहीं किया है, उसने खसरा नम्बर 316/266 में से जरिए ईकरारनामें से खरीदशुदा भूमि में निर्माण करवाया है। उसने अतिक्रमण नहीं किया है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बीदासर की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थी भंवरलाल पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी कातरछोटी ने सा0नि0वि0 की सड़क सीमा में 90.72 वर्ग मीटर भूमि पर दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है और साहयक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थी से शरह पड़ता लगान ग्राम कातर छोटी 00.50 रु प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 90.72 वर्ग मीटर की राशि 01/- एक रूपया वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर